हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस0जे0 ई0–ए0–बी(1).7/2012 तारीख शिमला–2, 26 जून, 2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित) वर्ग–II (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टिबाधित) वर्ग–II,(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2 26 जून,2015
प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव(वित्त/विधि/कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. निदेशक, अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य अल्प संख्यक मामले हिमाचल प्रदेश शिमला–09
3 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला–5

अवर सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित)वर्ग–II,(अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.पद का नामः	विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित)
2.पद(पदों) की संख्याः	01 (एक)
3.वर्गीकरणः	वर्ग –II, (अराजपत्रित)
4.वेतनमानः	i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमानः पे बैण्ड ₹10300–34800 जमा ₹ 4200/–ग्रेड पे। ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धियाँः स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹14500/–प्रतिमास
5.चयन पद अथवा अचयन पदः	लागू नहीं।
6.सीधी भर्ती के लिए आयुः	45 वर्ष और इससे कमः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नही होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7.सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	(क) अनिवार्य अर्हता(एं): i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी के एक विषय सहित अंग्रेजी में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि । ii) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा स्नातक । या साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा। या साधारण शिक्षा में शिक्षा स्नातक सहित विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में डिप्लोमा/विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा में डिप्लोमा । या दृष्टि बाधिता में माध्यमिक स्तर का अध्यापक प्रशिक्षण कोर्स। iii) अभ्यार्थी भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय अर्हता(ए) i) विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) में शिक्षा निष्णात (एम0एड0) । ii) सम्बन्धित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव। iii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यामान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8.सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं	आयुः लागू नहीं । शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।
9.परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10.भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11.प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः	लागू नहीं।
12.यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	लागू नहीं।
13.भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक

परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः—

(1) संकल्पनाः

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रजी (दृष्टि बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख)पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः

प्रधान सचिव/सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए

सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित) को ₹ 14,500/— की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 435/— (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी:

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या

समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V)संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI)कराराः
अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेः

(क)संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को **₹** 14500 /— की दर से नियत ंविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में **₹** 435/— की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/ होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत

अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उस नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवयसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ)संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16.आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17.विभागीय परीक्षा	लागू नहीं।
18. शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध— "ख"

विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित) वर्ग—II,(अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति ....पुत्र/पुत्री श्री ....निवासी..संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..................... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार"ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) अंग्रेजी (दृष्टि बाधित) वर्ग—II,(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में........... से प्रारम्भ होने और......... ......को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्...... ....दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/ विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 14,500/— प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकरी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1..

....

....

(नाम व पूरा पता)

2...

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:

1...

....

....

(नाम व पूरा पता)

2...

....

....

नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-07/2012, dated 26th. June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice and Empowerment

No. SJE-A-B(1)-07/2012 dated: Shimla-02 the 26th.June, 2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired) Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement: (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired) Class-II, Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Principal Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst No. as above, dated: Shimla-02 26th.June, 2015

Copy to:-

1 The A.C.S./Pr. Secretaries/Secretaries (Finance/Law/Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.

2 The Director, SCs, OBCs and Minorities Affairs, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-09. He is requested to procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.

3 The Controller, Printing & Stationary Department, H.P. Shimla-05 for publication into the Govt. Gazette.

4 Guard File.

Under Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) ENGLISH (VISUALLY IMPAIRED) (CLASS-II-NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of the post	Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired)
2	Number of post(s)	01 (One)
3	Classification	Class-II (Non-Gazetted)
4	Scale of Pay	i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band ₹10300-34800 + ₹4200/- Grade Pay ii) Emoluments for contract employee: ₹14,500/- as per details given in Column 15-A.
5	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post	Not applicable
6	Age for direct recruitment	45 years and below
	Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis; Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment; Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government; Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were	

	subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies. <u>Notes</u>: (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.	
7	Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s)	(a) <u>Essential Qualification(s)</u>: i) A second class Master Degree in English from any recognized University with English as one of the subject at the Graduation level. ii) B.Ed. Special Education (Visually Impairment). OR Post Graduate Professional diploma in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education. OR Diploma in Special Education (Visually Impairment) / Diploma in Education in Special Education (Visually Impairment) with B.Ed. in General Education. OR Secondary level Teacher Training Course in Visually Impairment. iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI). (b) <u>Desirable Qualification(s):</u> i) M.Ed. in Special Education (Visually Impairment). ii) At least two years teaching experience in the related field. iii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh
8	Whether age and educational	Age: Not applicable

	qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	Educational Qualification: Not applicable
9	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11	In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion / deputation / transfer is to be made:	Not applicable
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not applicable
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or

		practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.
15-A	Selection for appointment to the post by contract appointment	Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: - (I) <u>CONCEPT</u>: (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis. Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended. (b) <u>POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC</u>: The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. <u>Himachal Pradesh Public Service Commission</u>. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules. (II) <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS:</u> The Special Post Graduate Teacher (PGT) English (Visually Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @`14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of `435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year. (III)<u>APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY</u>: The Principal Secretary / Secretary (SJ&E)

to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @₹14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks

		Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee. Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year. (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his / her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his / her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty. Provided that he / she shall submit the certificate of illness / fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government. (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA / DA if required to go on tour in connection with his / her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale. (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules &

		Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.
16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not applicable
18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

*****